कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 3721 /14-1 मुजफ्फरनगर दिनांक, 06-3-2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि0
मुजफ्फरनगर।

विषयः— जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 मुजफ्फरनगर द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर —जानसठ लीला भोपा (भौकरहेडी) लाईन के निर्माण हेतु 0.1944 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

संदर्भः— प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Trans/26409/2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक—2561/मुजफ्फरनगर/26409/2017 दिनांक 05.03.2018 ।

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 05.03.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विषयक प्रस्ताव में कतिपय सूचनाऐं विसंगति पूर्ण है। जिसमें से निम्नलिखित सूचनाऐं आपके स्तर से संशोधित कर प्रेषित की जानी है।

1—प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—49 पर संलग्न डिजिटल मैप में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी आरक्षित वन भूमि अंकित है। जबकि प्रभावित भूमि संरक्षित वन भूमि है। कृपया डिजिटल मैप में संरक्षित वन भूमि अंकित कराते हुए इसे ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

2—प्रस्ताव के साथ संलग्न पॉवर ऑफ अटार्नी में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। अतः संशोधित पॉवर ऑफ अटार्नी ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

3— प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—14 पर संलग्न जस्टीफिकेंशन नोट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी आरक्षित वन भूमि अंकित है। जबकि प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन भूमि है। अतः इस विसंगति को संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड करें एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4— प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—54 पर प्रदर्शित क्रासिंग में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी आरक्षित वन भूमि अंकित है। जबकि प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन भूमि है। अतः इस विसंगति को संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड करें एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनाओं तथा अभिलेखो को पूर्ण करने हेतु विषयक प्रस्ताव की मूल प्रतियां मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त करने हेतु अपने प्रतिनिधि को नामित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि उक्त प्रस्ताव संशोधित करने हेतु शीघ्रता—शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
06/3/18
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 3721 / दिनांकित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि—वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित।

06/3/18
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

255 D:\FOREST\Surendra\Survey Branch\Land Transfar (Proposal)\Land Transfar 2017-18.doc